आदेश

समूह 'ग' एवं 'घ' की निम्नांकित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में स्थानांतरित किया जाता है :

क्रमांक	नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	संस्था जहां स्थानांतरित किया जाता	अन्य
1	2	3	4	5	6
1	श्री जयपुर अहमद	सहा० प्रशासन विशिष्ट	रा०पा० बालाजीपुर	रा०पा० कोटली	इसके ही अनुदेश पर
2	श्री अतुल कुमार	कर्म० अनु०	रा० पा० बालाजीपुर	रा०पा० उन्नाव	इसके ही अनुदेश पर
3	श्री दर्शित कुमार सक्सेना	का० लि०	रा०पा० पीलीभीत	रा०पा० बरेली	आवश्यक से
4	श्री आदेश कुमार सिंह	का० लि०	रा०पा० बरेली	रा०पा० पीलीभीत	प्रशासनिक आधार पर
5	श्री अजमेर आजा	सहायक कोषी कर्मचारी	रा०स०पा० अलीगढ़	रा० पा०वी० लखनऊ	इसके ही अनुदेश पर
6	श्री अतीश कुमार सिद्धार्थनगर	सहायक कोषी कर्मचारी	रा०पा० लखनऊ	रा०स०पा० अलीगढ़	इसके ही अनुदेश पर

उपर्युक्त क्रमांक 2, 3, 5, 6, स्तंभ के अनुदेश पर होने की वजह उनके स्थान भरना जरूरी नहीं होगा। उपरोक्त कर्मचारियों को तुरंत कार्यमुक्त करने की उन्हें अपनी तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दें, तथा कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना तुरंत निदेशालय एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्थानांतरण आदेश को अविलंबनीय अनुशासनिक सीमाओं की परिधि में माना जाए। उपरोक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने में किसी प्रकार की देरी यदि कोई कर्मचारी इन आदेशों के विरुद्ध प्रकार अपनाता या प्रयास करेगा, तो उसकी इस कृत्य / आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के नियम 27 का उल्लंघन माना जाएगा तथा उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। स्थानांतरण आदेश को अमल में लाने में नियम 45 ए पर्सोनेल मैनुअल तथा अधीन की अवधि आवश्यक शिथिलन की संस्था में विचार कर अनुचित कर्मचारी पर भी विचार किया जा सकता है।

(एस०एस०एस०)
अनुभाग निदेशक

कार्यालय - अनुभाग निदेशक, प्रादेशिक शिक्षा, रा० प्रे०, एस०एस०

सं० 1638-39/ स्था० - स्थानांतर-2002 दिनांक : 2-6-02

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. संबंधित संस्थाओं को सूचनार्थ।
2. संबंधित कर्मचारी द्वारा पालनार्थ।
3. निदेशक, प्रादेशिक शिक्षा, रा० प्र० - कानपुर।

(एस०एस०एस०)
अनुभाग निदेशक